

फर्द अहकाम
गुरलीक बानाम विलास चंद

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर
मुख्यालय-जयपुर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
ख्या 03/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/4/24	<p>पत्रावली पेशा डक अखिल बहागप उत्पन्न 3 फाइल एएस कुटेजाल मिपोर्ट पर सुनो गई पत्रावली का अचित अगिन भौदय निर्णय दिनांक 26/04/24 को पेशा हो</p>	
26/4/24	<p>पत्रावली पेशा डक अखिल बहागप उत्पन्न उत्पन्न 3 फाइल एएस कुटेजाल मिपोर्ट (दिनांक 26/04/24) पर किसी प्रकार की अपति प्रस्तुत न हो करे हुए उत्पन्न वाशन द्वारा कुटेजाल मिपोर्ट पर अहकाम व्यक्त की गई है प्रस्तुत कुटेजाल मिपोर्ट अगुणत वाद अतिरिक्त दिनांक निर्णय आवत दहकामि/अज्ञापति का विवेकन निष्प गण्य है अतः वादागत मुक्ति का. 24. नं 519, 617, 618 कुल अहकामि कु कुल रकबा 1.37 ए. 3 अहकाम के प्राप्त कुटेजाल मिपोर्ट अगुणत वाद वादी अतिरिक्त दिनांक सिद्धा जाता है (विस्तृत निर्णय पृष्ठ 9 न लिखा जाकर केला है) निर्णय सुनाया गण्य पत्रावली प्रस्तुत शुका होकर रुज नखर के रुक हो। यदि एएस वाशिल पपत हो</p>	<p align="right">26/4/24 (वादी)</p>

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर
मुख्यालय-जयपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर
मुख्यालय-जयपुर



अंतिम डिक्री मुकदमा इन्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व इजलास श्यामा राठौड, आर.ए.एस

वाद संख्या : 03/2021

निर्णय दिनांक : 26.04.2024

1. मुरलीधर पुत्र श्री जोधाराम जाति धोबी
निवासी 31, विजयवाडी, पथ नं. 7, केशव मार्ग, सीकर रोड, जयपुर।

-वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र पांचूराम बैरवा
निवासी ग्राम- किशोरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
हाल निवासी प्लॉट नं. 48, सुन्दर नगर, मंगलम सिटी के पास, रामपुरा रोड,
तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. वासुदेव पुत्र बाबूलाल जाति भाण्ड
निवासी ग्राम रामगढ सेडोतान, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।

-प्रतिवादीगण



वाद बाबत विमाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

उभयपक्षकारान द्वारा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है। अतः वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं. 519, 617, 618 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.37 है. वाके ग्राम बीलपुरा के संदर्भ में प्रस्तुत कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगात
1	मुरलीधर पुत्र जोधाराम जाति धोबी सा. देह खातेदार हि 1/2, वासुदेव पुत्र बाबूलाल जाति भांड नि. रामगढ सेडोतान तहसील सोजत जिला पाली हि. 1/2	519	0.10	डहरी 2	0.85
		617	0.15	चाही 2 0.03	0.77
		618	जाव 2 0.12	1.50	
			बारानी 2	4.48	
		कुल किता 3	1.37		

कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगात
1	मुरलीधर पुत्र जोधाराम जाति धोबी सा.देह खातेदार	519	0.10	डहरी 2	
		618/2	0.57	बारानी 2	
		कुल किता 2	0.67		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

2	वासुदेव पुत्र बाबूलाल जाति भांड नि. रामगढ सेडोतान तहसील सोजत जिला पाली	617 618/3	0.15 0.52	चाही 2 0.03 जाव 2 0.12 बारानी 2
		कुल किता 2	0.67	
3	मुरलीधर पुत्र जोधाराम जाति धोबी सा.देह खातेदार हि 1/2, वासुदेव पुत्र बाबूलाल जाति भांड नि. रामगढ सेडोतान तहसील सोजत जिला पाली हि. 1/2	618/1	0.03	गै.मुरास्ता



उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमीर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.04.2024 को जारी की गई।

मुहर

[Signature]
तहसीलदार (असत.देह) अमीर
मुहतासब-जयपुर
ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।